क्रम-संख्या–142(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 2026

चैत्र 9, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 41/छः-पु0-9–2026-2018024

लखनऊ, 30 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0–255

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्यों के निर्वहन हेतु पुलिस अधीक्षक या समकक्ष से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं जिसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जायेगा और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां जो इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदेय हों, प्रदान कर सकते हैं, जैसा राज्यपाल उचित समझें ।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 41/VI-Pu-9–2026-2018024, dated March 30, 2026:

No. 41/VI-Pu-9–2026-2018024

*Dated Lucknow, March 3*0, 2026

IN exercise of the powers conferred by Section 15 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor of Uttar Pradesh may appoint any Police Officer not below the rank of Superintendent of Police or equivalent, for a particular area or for the performance of particular functions, to be known as a Special Executive Magistrate, and may confer on such Special Executive Magistrate such of the powers as are conferrable under this Sanhita on an Executive Magistrate, as the Governor may deem fit.

By order,
SANJAY PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 119 राजपत्र—2026—(247)—599+50=649 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।